कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत अपंजीकृत कम्पनियां

7324. **श्री राजनाथ सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसी कितनी निजी कम्पनियां हैं जिनका पंजीकरण कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत नहीं कराया गया है और इस संबंध में कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली में ऐसी कई निजी कम्पनियां हैं जिनके मालिकों द्वारा एक ही कम्पनी के नाम से अन्य अलग-अलग कम्पनियां खोली गई हैं और क्या मैसर्स डिजाइन, मैसर्स इनड्योर, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली भी इन कम्पनियों में से है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने इन कम्पनियों के मालिकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) कम्पनी कार्य विभाग के पास ऐसी कम्पनियों के बारे में कोई सूचना नहीं है तो कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत नहीं हैं। इसलिए, ऐसी कम्पनियों के स्वामियों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

मैसर्स डिजाइन और मैसर्स इनड्योर नाम से कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कम्पनियों के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उपलब्ध सूचना के अनुसार इस प्रकार की कोई कम्पनियां नहीं हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के पास लंबित आर्डर

7325. **श्री आस मोहम्मद:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के पास बड़ी संख्या में आर्डर लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं कि यह एकक आवश्यक कार्यपूंजी की कमी का सामना न करे;

(घ) क्या सरकार देश के पूर्वी भागों में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के इंजीनियरिंग एककों की पुनरुत्थान योजनाओं को तैयार करने हेतु निगम के पास उपलब्ध विशेषज्ञता का उपयोग करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) दिनांक 1.5.95 की स्थिति के अनुसार हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड की क्रयादेश स्थिति 483 करोड़ रुपए थी। क्षेत्रवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

(करोड़ रुपए में)

इस्पात	312
खनन	82
रक्षा	9
रेलवे	34
अन्य	46
	483

(ग) सरकार अपनी बजटीय सीमाओं के अन्दर कंपनी को वित्तीय सहायता देती है, जिसमें कंपनी को कार्यशील पूंजी संबंधी सहायता देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को स्थायी गारंटी शामिल है।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास केन्द्र

7326. **श्री सुरेश पचौरी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं ने केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने संबंधी नीति

के अंतर्गत 30 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश से मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले आठ औद्योगिक विकास केन्द्रों के संबंध में वित्तीय प्रावधान के अंतर्गत अंश-पूंजी (साझेदारी) और देय ऋण राशि जारी की है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या मध्य प्रदेश की क्रियान्वयन एजेंसी (औद्योगिक विकास केन्द्र निगम) ने अपना आवेदन पत्र भेजा है और यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में केन्द्रीय वित्त संस्थान को आवश्यक अनुदेश जारी किए हैं और क्या योजना के क्रियान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है; और

(घ) क्या सरकार मध्य प्रदेश के लिए और अधिक औद्योगिक विकास केन्द्रों के लिए संस्वीकृति प्रदान करने पर विचार कर रही है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग) मध्य प्रदेश में छह विकास केन्द्रों को स्वीकृति दी गई है। मध्य प्रदेश प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि खेड़ा, भिरोंगी, बोराई एवं सिल्लारा में स्थित विकास केन्द्रों के लिए इक्विटी की मंजूरी के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से अनुरोध किया गया है। केन्द्रीय वित्त संस्थानों द्वारा भागीदारी की सूचना अभी नहीं दी गई है। इन संस्थानों के साथ फरवरी, 1995 में सरकार ने योजना हेतु इनकी सक्रिय भागीदारी एवं सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक आयोजित की थी। राज्यों के साथ परामर्श करके सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की है। केन्द्रीय वित्त संस्थानों की लंबित भागीदारी के संबंध में परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार ने प्रत्येक परियोजना हेतु उनके समानुपातिक योगदान का निर्णय लिया है।

(घ) जी, नहीं।

Protest against Government decision to sell cement plant

7327. SHRI N. GIRI PRASAD:
SHRI V. NARAYANASAMY:
DR. BAPU KALDATE:
SHRI RAMJI LAL:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a group of Ministers have recommended to put 11 Units of Cement Corporation of India for sale and if so, the reasons therefor;

(b) whether Government have received memoranda from Associations/unions of Cement Corporation of india, Charkhi Dadri Unit, protesting against the sale of the Unit; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) Since CCI has been continuously incurring heavy loses, various remedial measures were considered by the Govt. The feasibility of selling individual units has been one such step considered by the Govt.

(b) and (c) Certain representations/ memoranda have been received from the Associations/unions of Charkhi Dadri Cement Factory of CCI against the sale of the Unit. However, no final decision has been taken by the Govt, so far to sell off any individual unit of CCI.